(3) राज्य बिजली बोर्डों के साथ अधिक घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करने और ग्राम-विद्युतीकरण स्कीमें तैयार करने तथा क्रियान्वित करने में बोर्डों को सहायता देने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने कई क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं।

विवरण

पांचवीं योजना अवधि 1974-78 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	राज्य	विद्युतीकृत गांव
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,472
2.	असम	1,030
3.	बिहार	8,599
4.	गुजरात	2,445
5.	हरियाणा	(+)
6.	हिमाचल प्रदेश	3,253
7.	जम्मू व कश्मीर	2,679
8.	कर्नाटक	2,516
9.	केरल	51
10.	मध्य प्रदेश	5,647
11.	महाराष्ट्र	4,709
12.	मणिपुर	22
13.	मेघालय	228
14.	नागालैण्ड	100
15.	उड़ीसा	6,084
16.	पंजाब	5,048
17.	राजस्थान	4,231
18.	सिक्किम	43
19.	तमिलनाडु	67
20.	त्रिपुरा	307
21.	उत्तर प्रदेश	5,261
22.	पश्चिम बंगाल	3,154
	जोड़ (राज्य)	59,946
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	223
	जोड़ (अखिल भारत)	60,169

(+) 100% गांवों का विद्युतीकरण हो गया है।

शाह आयोग द्वारा दोषी पाए गए अधिकारी

3036. श्री नवाब सिंह चौहान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाह आयोग द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उनमें से किन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही कब तक करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ). शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जन सम्पर्क माध्यमों के दुरुपयोग के निम्नलिखित विशिष्ट मामलों का उल्लेख किया था :—

(1) कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र का आकाशवाणी तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के अनुवादकों द्वारा अनुवाद किया जाना।

(2) श्री विद्याचरण शुक्ल के लिए चुनाव पोस्टरों का विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के आर्टिस्टों द्वारा डिजाइन बनाया जाना।

(3) सूचना और प्रसारण द्वारा पार्श्व गायक श्री किशोर कुमार को तंग किया जाना।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष जांच यूनिट ने उक्त (1) के सम्मुख निर्दिष्ट मामले के बारे में सर्वश्री विद्याचरण शुक्ल, श्री शुक्ल के विशेष सहायक श्री बी० एस० त्रिपाठी तथा अन्यों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है जिसकी जांच की जा रही है। उक्त (2) के सम्मुख निर्दिष्ट मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा श्री विद्याचरण शुक्ल, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के तत्कालीन निदेशक स्वर्गीय श्री एन० सेठी और अन्यों के विरुद्ध 7-2-1979 को औपचारिक आरोप-पत्र दायर किये जा चुके हैं। जहां तक उक्त (3) के सम्मुख निर्दिष्ट मामले का सम्बन्ध है, सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाई करने के प्रश्न की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

कोयला खानों में कर्मचारियों के लिए मजूरी निर्धारित करने के लिए समिति

3037. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों में कर्मचारियों के लिए मजूरी का पुनरीक्षण करने के लिए नियुक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति ने मजूरी पुनः